संख्या- 43/2020/3310/77-6-2020-5(एम)/2017टीसी-17

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 26 नवम्बर, 2020**

विषय-औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत भूमि के स्वामित्व के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-आई0आई0पी0ई0पी0पी0-2017/एम.एस.एम.ई./1061दिनांक 28.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की नियमावली में भूमि के स्वामित्व की अनिववार्यता तथा लीज की भूमि पर इकाई लगाने के संबंध में पृथक से कोई दिशा-निर्देश इंगित नहीं होने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत निवेशकर्ता के द्वारा भूमि अथवा परिसर लीज/किराये पर लिये जाने की परिस्थिति में सम्बन्धित औद्योगिक इकाई को इस शर्त के साथ लेटर आफ कम्पर्ट जारी कर दिया जाए कि प्रश्नगत लीज रेन्ट एग्रीमेन्ट/किरायानामा irrevocable होगा और एल.ओ.सी. की जारी तिथि से कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा। इकाईयों को नीति की अन्य सभी शर्ते पूरी करनी होंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 43/2020/3310 (1)/77-6-2020-5(एम)/2017टीसी-17 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त एवं निदेश, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर लखनऊ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इनवेस्ट यू0पी0
4. गार्ड फाइल।

भवदीय,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।